COLLEGE OF AGRICULTURE, KUMHER

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER (JAIPUR) RAJASTHAN)

Kumher, Distt. Deeg- 321201

Prof. R. K. Meena
DEAN

Mobile No.: 8005842512

Email: dean.coabharatpur@sknau.ac.in

No. F. /Farm/COA-K/2026/~~7114~~ 7714 Dated: 06.08.2026

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर के वित्तीय वर्ष 2026–27 में हिस्सा आधारित खेती के कार्य के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फार्मो/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास पैन कार्ड व आधार कार्ड धारक से दिनांकः 13.08.2026 को निर्धारित प्रपत्र में सुबह 12:30 तक सीलबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रू. 500/– नगद, UPI, बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम देय हो, द्वारा ही भुगतान कर दिनांक 13.08.2026 को दोपहर 12.00 तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in व http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। प्राप्त निविदाऐं दिनांकः 13.08.2026 को दोपहर बाद 2:00 उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (₹)	धरोहर राशि (₹)
1	फार्म की (25 हैक्टेयर कृषि भूमि पर रबी 2026–27) में हिस्सा आधारित खेती का कार्य	500000	10000

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर निवेदन है कि उक्त दिनांक ~~16.08.2026~~ 13.8.2 को उक्त निविदा के निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
2. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/...।
3. कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
4. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. फार्म प्रभारी, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
हिस्सा आधारित कृषि हेतु
खुलीनिविदा प्रपत्र नं. 01

क्र.सं.	योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती
1	बजट हैड	रिवोल्विंग फण्ड
2	कार्य की अनुमानित अवधि	रबी वर्ष 2026–27
3	निविदा फार्म का मूल्य	500/– रूपये बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक
4	धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	धरोहर राशि 10000/– रूपये
5	अनुमानित लागत	5.0 लाख
6	प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	13.08.2026 दोपहर 12:00 बजे तक
7	प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	13.08.2026 सुबह 12:30 बजे तक
8	निविदा खोलने की दिनांक व समय	13.08.2026 दोपहर 02 बजे
9	पृष्ठ संख्या पॉच से सात	निविदा की शर्ते
10	परिशिष्ट संख्या 1	फसल व हिस्सेदारी का विवरण
11	पत्राचार हेतु पता– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर जिला डीग–321201	मोबाईल नं0–8005842512

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित कृषि हेतु

खुलीनिविदा प्रपत्र नं0 01 तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजात संलग्न करें

क्र.सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची क्रमांक
1	पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति	
2	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र	
3	निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 500/-	
4	अमानत राशि ₹ 10000/-	
5	शर्तों पर सहमति पत्र	
6	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति	
7	बैंक कैंसिल चैक की स्वप्रमाणित प्रति	
8	संतोषजनक कार्य करने का सरकारी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र यदि हो तो	

नोट– उपरोक्त बांछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जाएगा एवं उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र वर्ष 2026–27

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष, ईमेलः– ....

....

1. धरोहर राषि ₹ 10000/– को डी0डी0 सं0/बी0सी0 सं0............................दिनांक ....
2. पैन नं0 .... (फोटोप्रति संलग्न करें)
3. आधार संख्या .... (फोटोप्रति संलग्न करें)
4. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील ।
5. सफल निविदादाता को 500/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. बिल का भुगलान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा।
8. निविदा सील बन्द लिफाफे में कर जमा कीं जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. अमानत राषि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

नोटः प्रपत्र–स निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर ठेकेदार

निविदा शर्तेः– (लिफाफा संख्या एक में रखने हेतु)

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
2. PAN, आधार एवं बैंक केंसिल चैक की स्वप्रमाणित प्रति
3. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर को प्रेषित होनी चाहिए साथ ही निविदादाता को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।
4. प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
5. बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म प्रबंधक की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा तथा विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं संबंधित अधिकारी के निर्देशनानुसार करने होंगे एवं आवश्यक औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी में ही करने होंगे।
6. निविदादाता को सिंचाई संबंधी डीजल इंजन सैट, पाईप, फव्वारे बेड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी/चौकीदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
7. निराई, गुडाई, थ्रेसिंग तथा संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी को होगा।
8. थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म टैक्ट्रर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
9. फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा तथा अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
10. आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
11. फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस–पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। खरपतवार नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
12. प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसकी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
13. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
14. फार्म फील्ड पर यदि रबी सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
15. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
16. सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 10000/– रूपये नगद, UPI, बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम देय हो जमा करानी होगी जिसमें 2 प्रतिशत जमा राशि समायोजित कर ली जाएगी। जिस पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगी।
17. फार्म पर 25 हैक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
18. यह ठेका रबी वर्ष 2026–27 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
19. जुताई हेतु ट्रैक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी। सिंचाई हेतु इंजन, पाईप डीजल इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।.
20. बुवाई से लेकर थ्रेसिंग व स्टोर में बोरियों की धांग लगाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
21. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई संबंधी डीजल, ईंजन, पम्पसैट, पाईप व अन्य सामान गिनकर लिखित में प्राप्त करना होगा व गिनकर वापिस जमा कराना होगा व जिसकी चौकीदारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
22. निविदादाता को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जाएगा हिस्से की राशि उत्पादन नजदीकी अथवा जहां उस फसल का उत्पादन होता है कृषि उपज मण्डी के 7 दिवस पहले तथा 7 दिवस बाद के औसत भाव के आधार पर या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का भुगतान बिल

कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा कर दिया जायेगा। ठेकेदार के भुगतान के उपरान्त केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

23. ठेकेदार को फसल कटाई के बाद कटी हुई फसल को कहॉ इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है। इसके लिए फार्म प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक के निर्णय के अनुसार व कार्यशीघ्रता से करना होगा। फसल इकट्ठा करने हेतु ट्रैक्टर–टॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

24. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये दाने को बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में पहुँचाकर धांग लगानी होगी। बोरियां महाविद्यालय उपलब्ध करवाएगा। बजन तोलते समय नियमानुसार नमी एवं कचरे के लिए कुल बजन का 2 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा एवं अधिक कचरा एवं नमीं होने पर महाविद्यालय की समिति के अनुसार बजन काटा जाएगा।

25. थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले लेवर का सभी खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा।

26. थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु टैक्ट्रर–ट्रॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

27. फसल में रोगिंग/अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक की देख–रेख में अलग–अलग समय पर करना होगा।

28. बोरिंग, पम्प, ईंजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।

29. श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

30. फसल व सामान की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।

31. निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।

32. जिसके नाम हिस्सा बटाई का ठेका छूटेगा उसी व्यक्ति को आदेश मिलने के बाद से ही निविदा की शर्तो के अनुसार फार्म फील्ड की चौकीदारी का कार्य भी संभालना होगा। जो कि रबी फसल खेत में से उठने तक मान्य होगा।

33. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

34. थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।

35. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में ₹ 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा जिसमें समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

36. निविदादाता अगर कोई कार्य फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अगले दिन कार्यालय स्वयं मजदूर लगाकर कार्य को करवा लिया जावेगा। जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा।

37. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

38. समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान कि जा सकेगा।

39. निविदादाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा।

40. समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

41. अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

42. इन सभी कृषि कार्यो हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

43. यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।

44. किसी प्रकार के प्राकृतिक होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं बहन करेगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

45. निविदादाता के मजदूर व स्वयं फार्म पर मदिरा व.अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नही करेंगे और न ही किसी अन्य को करने देंगे।

46. किसी भी प्रकार के सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पश्ट उल्लेख करें एवं विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।

47. फसलों का भूसा/ तूडी/खारी/चारा आदि का सम्पूर्ण हिस्सा हिस्सेदार का होगा।

48. फसल उत्पादन व थ्रैसिंग के दौरान श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी हिस्सेदार की ही होगी।

49. सफल निविदादाता को ₹ 1000/– प्रति हैक्टर दर से अमानत राशि कार्य आदेश से पहले जमा करवानी होगी।

मैनें/हमने उपरोक्त सभी शर्तो को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्यालय में कार्य किया है विगत 03 वर्षों में किसी भी कारण से हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिषत हिस्सा का विवरण
वित्तीय निविदा प्रपत्र–1

क्र0 सं0	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वंय हिस्सेदारी प्रतिशत
1.	सरसों	दाना	
2.	चना	दाना	
3.	मसूर	दाना	
4.	सौंफ	दाना	
5	गेहूं	दाना	
6	जौ	दाना	
7	मेथी	दाना	

नोटः– फसलों का भूसा / तूडी / खारी / चारा आदि का सम्पूर्ण हिस्सा हिस्सेदार का होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार